भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3428
उत्तर देने की तारीख- 12.03.2026

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदानों की स्थिति

†3428. डॉ. बायरेड्डी शबरी :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत प्रत्येक पात्र राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को आबंटित, जारी किए गए और उपयोग किए गए सहायता अनुदान का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्तावों की संख्या और ब्यौरा क्या है और परियोजना का ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित निधियन राशि कितनी है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव की स्थिति क्या है और क्या इसे स्वीकृत, अस्वीकृत या लंबित रखा गया है और विलंब या अस्वीकृति, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं;

(घ) इस उपबंध के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और अनुमोदन की तारीख, निधि जारी करने की स्थिति और कार्यान्वयन की वर्तमान अवस्था क्या है; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के लिए आन्ध्र प्रदेश से कोई लंबित या संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उनके मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक पात्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत आबंटित, जारी और उपयोग किए गए सहायता अनुदानों का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक 1** के अनुसार है।

(ख) से (घ): पिछले 5 वर्षों के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के लिए अनुमोदन, अस्वीकृति और लंबित परियोजनाओं के लिए परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) के कार्यवृत्त का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: -

क्र.सं.	वर्ष	पीएसी अनुमोदन तिथि	पीएसी के कार्यवृत्त मंत्रालय की वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं।
1	2020-21	5 मई 2020	https://tribal.gov.in/Docs/AndhraPradesh05052020.pdf
2	2021-22	18 नवंबर 2021	https://tribal.gov.in/Docs/AndhraPradeshPAC_13102021.pdf
3	2022-23	21 नवंबर 2022	https://tribal.gov.in/Docs/AP_PAC_21112022.pdf
4	2023-24	-	-
5	2024-25	11 अक्टूबर 2024	https://tribal.gov.in/Docs/AndhraPradesh1110202410182024144306.pdf

पिछले 5 वर्षों में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत आंध्र प्रदेश सरकार को जारी की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैं:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**जारी की गई निधि (लाख रुपये में)**	**उपयोग की गई निधि (लाख रुपये में)**
1	2020-21	2055.55	2055.55
2	2021-22	2638.65	2555.7
3	2022-23	-	-
4	2023-24	-	-
5	2024-25	9841.55	-

(ङ): वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, जनजातीय कार्य मंत्रालय की परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के लिए 3365.00 लाख रुपये के परियोजना को अनुमोदन दिया है और 2615.85 लाख रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के लिए पीएसी द्वारा अनुमोदित की गई परियोजना का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक पर अपलोड किया गया है: -

(i) https://tribal.gov.in/Docs/AndhraGrants08112025171910.pdf

(ii) https://tribal.gov.in/Docs/GrantsMinutes0701202603102026123453.pdf

अनुलग्नक

दिनांक 12.03.2026 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3428 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक ।

08.03.2026 तक संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों की स्थिति (लाख रुपये में)																
		2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
क्र.सं.	राज्य आबंटन	वर्ष 2020-21 के लिए आवंटन	कुल निर्मुक्ति	यूसी देय	वर्ष 2021-22 के लिए आवंटन	कुल निर्मुक्ति	यूसी देय	वर्ष 2022-23 के लिए आवंटन	कुल निर्मुक्ति	यूसी देय	वर्ष 2023-24 के लिए आवंटन	कुल निर्मुक्ति	कुल यूसी देय	आवंटन का मूल हिस्सा	पहले ही जारी की गई राशि	कुल यूसी देय
1	आंध्र प्रदेश	2650.87	2055.55	0	2651.78	2638.65	32.55	2653.31	0	0	3119.03	0	8399.86	3391.3	9841.55	775.45
2	अरुणाचल प्रदेश	4973.66	6014.00	0	4975.38	9830.00	0	4978.24	7265.3	0	6237.61	6740	0	6362.89	10030	0
3	असम	4444.02	4592.37	0	4445.55	2570.0000	1875.05	4448.11	2300	288.31	5659.28	3294.120	3814.46	5685.31	4286.23	2271.46
4	बिहार	2083.17	0.00	1025.59	2083.89	642.08	933.69	2085.08	1001.01	182.103	2469.13	871.24	1473.020	2665.030	524.000	1333.413
5	छत्तीसगढ़	10642.350	9976.2414	300.000	10646.02	11604.020	0	10652.14	13578.43	16	12493.83	15676.77	16865.12	13614.94	14506.46	12168.38
6	गोवा	800.00	0.00	558.65	800.00	600.41	91.12	800	667.79	0	800	150	650	800	479.91	432.21
7	गुजरात	8721.64	5940.04	0	8724.65	6923.79	1870	8729.66	7549.12	174.4	10513.09	4584.77	10788.21	11157.73	2727.27	2606.63
8	हिमाचल प्रदेश	1696.93	1161.00	0	1697.51	1500.00	0	1698.49	1655	299.26	1945.98	1696.45	1594.51	2170.91	2244.23	1538.76
9	झारखंड	10537.37	10278.00	1284.88	10541	12264.1900	0	10547.06	6677.87	1035	12780.25	14299.82	8333.57	13480.63	5147.06	16883.39
10	कर्नाटक	3305.48	3305.68	0.00	3306.62	3210.00	0	3308.52	4297.57	0	3924.73	4070	1837.87	4228.75	4730.26	3894.57
11	केरल	800.00	0.00	786.98	800	0.00	786.98	800	817.67	817.67	800	1910.44	817.67	800	395.81	2728.11
12	मध्य प्रदेश	18394.92	4279.78	14073.62	18401.27	5319.10	13082.17	18411.85	8438.75	4002.56	22262.63	15741.7	14316.18	23532.93	9183.585	20605.72

08.03.2026 तक संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों की स्थिति (लाख रुपये में)

		2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
क्र.सं.	राज्य आबंटन	वर्ष 2020-21 के लिए आवंटन	कुल निर्मुक्ति	यूसी देय	वर्ष 2021-22 के लिए आवंटन	कुल निर्मुक्ति	यूसी देय	वर्ष 2022-23 के लिए आवंटन	कुल निर्मुक्ति	यूसी देय	वर्ष 2023-24 के लिए आवंटन	कुल निर्मुक्ति	कुल यूसी देय	आवंटन का मूल हिस्सा	पहले ही जारी की गई राशि	कुल यूसी देय
13	महाराष्ट्र	10417.85	4573.16	13065.5	10421.45	0.00	26189.74	10427.44	0	0	12923.46	0	19828.81	13327.73	0	10727.38
14	मणिपुर	1747.49	0.00	2453.01	1748.09	0.000	1872.65	1749.1	1067.36	533.68	2365.45	2456.35	2140.01	2235.59	1981.32	3962.675
15	मेघालय	3150.75	492.71	2669.8	3151.83	1595.25	1482.58	3153.64	2904.84	132.62	4083.97	3127.29	2926.89	4030.8	2217.4	563.96
16	मिजोरम	1899.56	1909.71	0	1900.22	2971.54	0	1901.31	1654.05	0	2522.61	2897.97	0	2430.14	2143.8	460.21
17	नागालैंड	2314.88	1717.38	678.62	2315.68	3202.39	276.53	2317.01	5863.47	300.4	3081.5	5020.11	4319.32	2961.47	2050.5	1201.88
18	ओडिशा	12062.26	6304.62	5722.38	12066.43	11382.05	683.95	12073.36	10150.55	0	14584.7	6870.56	9847.87	15431.45	10107.95	4869.48
19	राजस्थान	9002.84	9166.00	0	9005.95	10435.21	500.65	9011.12	11002.53	3066.57	10855.86	8940.07	12309.46	11517.48	4626.61	5310.75
20	सिक्किम	800.00	516.00	0	800	2045.00	0	800	720.38	0	800	1754.38	114.53	800	4485.06	135.06
21	तमिलनाडु	800.00	0.00	988.17	800	0.00	3496.18	800	0	0	800	650.49	79.95	800	2019.665	0
22	तेलंगाना	2788.68	2517.00	0	2789.65	2050.00	0	2791.25	3114.46	0	3328.39	5169	323.21	3567.61	13797	0
23	त्रिपुरा	1187.45	201.74	712.48	1187.86	607.53	529.21	1188.55	1294.71	100	1749.65	4226.39	487.37	1519.13	4151.82	809.124
24	उत्तर प्रदेश	882.40	927.43	0	882.71	832.71	50	883.21	1135.82	94.16	968.07	1353.63	1273.96	1128.87	1829.9	1447.79
25	उत्तराखंड	800.00	0.00	1872.52	800	100.65	493.99	800	306.02	293.97	800	964.05	423.79	800	0	293.97

08.03.2026 तक संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों की स्थिति (लाख रुपये में)																
		2020-21			**2021-22**			**2022-23**			**2023-24**			**2024-25**		
क्र.सं.	**राज्य आबंटन**	**वर्ष 2020-21 के लिए आवंटन**	**कुल निर्मुक्ति**	**यूसी देय**	**वर्ष 2021-22 के लिए आवंटन**	**कुल निर्मुक्ति**	**यूसी देय**	**वर्ष 2022-23 के लिए आवंटन**	**कुल निर्मुक्ति**	**यूसी देय**	**वर्ष 2023-24 के लिए आवंटन**	**कुल निर्मुक्ति**	**कुल यूसी देय**	**आवंटन का मूल हिस्सा**	**पहले ही जारी की गई राशि**	**कुल यूसी देय**
26	पश्चिम बंगाल	4460.44	4041.14	404.36	4461.97	0.00	4462.67	4464.55	4186.5	33.44	5340.84	4744.4	2156.7	5706.31	3549.61	1638.1
	कुल	**121365.01**	**79969.5540**	**46596.560**	**121405.51**	**92324.57**	**58709.71**	**121473.00**	**97649.20**	**11370.14**	**147210.036**	**117210**	**125122.34**	**154147**	**117057**	**96658.472**

*****